

(b) Yes, Sir.

(c) One of the papers presented in the Seminar suggested certain amendments to the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971.

(d) Steps have been taken by way of increasing the facilities and availability of trained manpower to attend to abortion services under the purview of the M.T.P. Act, 1971. Availability facilities of such safe, hygienic and legal abortion services is being made known to the public.

#### Setting up Indo-Pak Joint Commission

\*837. SHRI GHULAM RASOOL  
KOCHAK:

SHRI MADHAVRAO SCINDLA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether modalities for setting up Indo-Pakistan Joint Commission has been worked out;

(b) if so, whether any final decision in this regard has been finalised;

(c) if so, what is its composition; and

(d) by what time the Indo-Pak Joint Commission is likely to be formed and meeting held?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) to (b). The details regarding the nature, scope and time of setting up of the Joint Commission are yet to be worked out through consultations between the two Governments.

डोरी यूनिट योजना के अन्तर्गत विधवाओं को पशु दिया जाना

8998. श्री मोती भाई आर. चांधरी : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डोरी यूनिट योजना के अन्तर्गत विधवाओं को पशु देने के लिए गुजरात ने

वर्ष 1981-82 के लिए कितनी मांग की है और कितनी मांग स्वीकार की गई है और शेष मांग को कब तक पूरा किया जाएगा।

(ख) यदि धनराशि कम हुई तो क्या इस लाभकारी योजना के लिए बजट में अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया जाएगा; और

(ग) क्या इस लाभकारी योजना के लिए अधिक मांग वाले राज्यों को इस शीर्ष के अन्तर्गत उन राज्यों की धनराशि को भेजने के लिए कदम उठाए जाएंगे जिनकी मांग कम है परन्तु जिनके पास धनराशि फालतू है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी. के. भुंगन) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अपने सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के अधीन चलाई जाने वाली डोरी यूनिट योजना के अन्तर्गत गुजरात राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 1981-82 के दौरान 61.98 लाख रूपए की कुल अनुदान राशि के लिए 96 संस्थाओं को आवेदन भेजे थे। इस में से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने 65 संस्थाओं के संबंध में कुल 41.53 लाख रूपए के अनुदान मंजूर किए थे। शेष आवेदनों पर वर्ष 1982-83 के दौरान विचार किया जाएगा।

(ख) इस समय पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। बजट में धनराशियों के लिए और मांगों पर अक्टूबर-नवम्बर में संशोधित प्राक्कलनों के समय पर विचार किया जाता है।

(ग) राज्य बोर्डों के पास फालतू धनराशि उन राज्य बोर्डों को पहले ही भेजी जा चुकी है जहां मांग अधिक है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1981-82 के दौरान गुजरात राज्य बोर्ड को डोरी योजना के लिए 11.00 लाख रूपए के आवंटन के मुकाबले वास्तव में 32.63 लाख रूपए की धनराशि मंजूर की गई थी। यह धनराशि 7.23 लाख रूपए की उस धनराशि के अतिरिक्त थी जो गुजरात राज्य बोर्ड को वर्ष 1981-82 से पूर्व डोरी यूनिट के लिए अनुदान के रूप में मंजूर की गई थी।